PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 5, ISSUE 2

भारत में सांप्रदायिकता कि ऐतिहासिक स्थिती
एक अध्ययन

डॉ कमलेश कुमार सारासर
सह आचार्य इतिहास
स्व. राजेश पायलट राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय बॉदीकुई
राजस्थान भारत

प्रस्तावना :–

साम्प्रदायिकता एक विशिष्ट सरकार की चिन्तन जैसी है जो विभिन्न धर्मो के अनुयायियों की पहचान एक दूसरे से पृथक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अकाईयों के रूप में स्थापित करती है, इस र्थक्य को साम्प्रदाकिता के अन्तर्गत विशेषरूपेण रेखांकित किा जाता है और यहॉ तक कि इन विभिन्न धर्माव–लम्बियों के विद्वेष और वैमनस्य की भावना बताई जाती है । साम्प्रदायिकता में इस प्रकार सहज ही एक अलगाव की प्रवृति विद्यमान होती है और इसके वर्ग विशेष के स्वरूप और उसके अस्तित्व के प्रयोजन तथा उसके सांस्कृतिक मॅूल्यों और हितों को अन्य कर्मो के स्वरूप ? मूल्यों और हितों से सर्वथा अग कर देखा जाता है । इस प्रकार की वैचारिकी का अतिरंजित स्वरूप अन्य वर्गो को अपने कट्टर विरोधियों के रूप में देखने लगता है एवं उन्हें अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझने लगता है । प्राचीन काल से ही भारत के विभिन्न धर्म प्रचलित रहे हैं और इसके आधुनिक परिवेश में भी धर्मो की यह विविधता असतत विद्यमान है । किन्तु विभिन्न धर्मो का अस्तित्व होने पर भी भारतीय संदर्भ में साम्प्रदायिकता की समस्या को सदैव हिन्दुओं

और मुसलमानों में पारस्परिक विद्वेष , कटुता और वैमनस्यपूण भावनाओं और सम्बन्धों के रूप में ही लिया जाता रहा है । अत : भारत में साम्प्रदायिकता की समस्रूया के विश्लेषण के लिए इस्लाम में प्रतिपादित जीवन दर्शन तथा भारतीय परिवेश में इस्लाम के स्वरूप पर चिंतन आवश्यक है।

भारत में इस्लाम दीर्घ काल तक विजेताओं के धर्म के रूप में रहा । राजकाज में सामान्यताः मुसलमानों की स्थिति एक विशिष्ट वर्ग के रूप में रही जिसे आवश्यकता पडने पर इस्लाम के हितों की सुरक्षा हेतु काफिरों के विरूद्व जिहाद अथवा युद्व लडने के लिए तत्पर रहता था । किन्तु यह भी एक निर्विवाद सत्य है कि लगभग एक हजार वर्षो तक एक दूसरे के साथ रहने के परिणामस्वरूप न्दिुओं और मुसलमानो ने पारस्परिक सौहार्द्र की आवश्यकता को समझा और तदनुसार समायोजन की प्रक्रिया बनी रही । विशेष रूप से क्षेत्रीय स्तर पर समायोजन की एक प्रक्रिया की बडी आसानी से देखा जा सकता है । उदाहरण के लिए, बंगाल के एक हिन्दू और एक मुसलमान में अथवा पंजाब के एक हिन्दू और एक मुसलमान में समान सांस्कृतिक तत्व सहज ही दिखाई पडेंगे जबकि उत्तर भारत के एक हिन्दू तथा दक्षिण भारत के एक हिन्दू में इस प्रकार की सांस्कृतिक समानता का अभाव दिखाई पडेगा । इस प्रकार, क्षेत्रीय स्तर पर इन दोनो संप्रदायों का जीवनक्रम किसी साम्प्रदायिक आधार पर न होकर क्षेत्र की विभिन्न संस्कृति के आधार पर ही अग्रसरित होता रहा तथापि क्षेत्रीय स्तर पर विद्यमान इस सामंजस्य की भावना को बहुत5 बढा चढा कर प्रस्तुत करना त्रृटिपूर्ण होगा क्योंकि व्यापक स्तर पर दोनों समुदायों के बीच विद्यमान कार्यक्रम की भावना को कभी भी सर्वथा उन्मूलित नहीं किया जा सका ।

यद्यपि इस विप्लव में हिन्दू मुसलमान दोनों ने ही भाग लिया था , किन्तु चूंकि विल्पलवधारियों ने दिल्ली के मुगल शासक बहादुरशाह जफर को अपना सर्वमान्य नेता उदघोषित किया था, अंग्रेजी ने इसे मुख्यतः मुसलमानों का विद्रोह काना । इसी कारण मुसलमानों के प्रति उन्होने अपेक्षाकृत कठोर व्यवहार अपनाया । किन्तु 19 वीं शताब्दी के अन्त तक अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपने साथ लेने का प्रयास आरम्भ कर दिया । देश के

राजनीतिक जागरण के कार्य में हिन्दुओं ने प्रमुख भूमिका निरभानी प्रारम्भ करदी थी और अंग्रेजो की कूटनीति ने उनके विरोध में मुसलमानो को अपना पक्षधर बनाने की ऐतिहासिक आवश्यकता को समझते हुए उनके प्रति अपनी नीति को परिवर्तित किया । अन्यत्र इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्व में कई प्रान्तीय संगठनों का उदय हुआ जिन्होने जन प्रतिनिधिकारी संस्थाओं की स्थापना तथा राजकीय नौकरियो में भारतयों को अधिक सुविधा और अधिकार दिए जाने की मांग रखी ।

कालान्तर में इसी प्रक्रिया में इण्डियन नेशनल कोंग्रेस की स्थापना हुई जो देश की जता की इस प्रकार की राजनीतिक मांगों का प्रभावी माध्यम बनरी । इन संगठनो के सदस्य अधिकशंतः हिन्दू थे और इस कारण अंग्रेजी शासकों की आंख में हिन्दुआकं का कांटे की तरह चुभना स्वाभाविक था । इसी समय भारतीय रंगमंच पर सर सैयद अहमद का आविर्भाव हुआ जिन्होने अंग्रेजों का अनुग्रह पाने के उद्देश से मुसलमानो में चाणक्य की भावना को जागृत किया । उनकी यह मान्यता थी कि अंग्रेजरें के सदभाव और कर ही भारत में मुसलमानों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अंग्रेजी सरकार को प्रसन्न रखने तथा अंग्रेजी राज्य में मुसलमानो की पूर्ण भक्ति जताने के उद्देश्य से उन्होने 1857 के विप्लव को व्याख्यापित किया और यह मत प्रतिपादित किया कि यह मुसलमानो का विद्रोह नहीं था । उनका मुख्य प्रयोजन अंग्रेजी सरकार के मन में यह विश्वास पैदा करना था कि मुसलमान पूर्णतया राजभक्त है । उन्होने ' अगवाबे अगावते हिन्द तथा ' लायल मोहम्मद आफ इण्डिया '' नामक दो पुस्तक लिखी। जहॉ तक मुसलमानों का सम्बन्ध था उन्होने उनका ध्यान पिछडेपन की ओर आकर्षित किया । उन्होने कहा कि इसका प्रमूख कारण उनमें शिक्षा का अभाव है जिससे वे विविध प्रतियोगी परीक्षाओ में नहीं बैठ सकते और प्रशासन के अन्य क्षेत्रों से बाहर है ।

मुसलमानो के अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उदासीन होने के कारण उन्होने चार कारण बताए : उनकी राजनीतिक परम्पराएॅ, सामाजिक परम्पराएॅ, धार्मिक विश्वास और दरिद्रता । उन्होने मुस्लिम जनता से अपील की कि वे अंग्रेजी शिक्षा के प्रति अपनी निषेधात्मक प्रवृति

का त्याग करे क्योंकि इस प्रवृति से वे अपने ही हितों को हानि पहुंचा रहे हैं । वे चाहते थे कि मुसलमान राजनीतिक आन्दोलन में भाग न लें । वस्तुतः वे जनप्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार की मांग के सर्वथा विरोधी थे । नवाब विकार उलमुल्क नामक एक अन्य मुस्लिम शिक्षाशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट करते हुए कहा कि संख्या की दृष्टि से हम हिन्दुओं के पांचवे भाग है । यदि किसी समय भारत में अंग्रेजों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो हमें हिन्दुओं का गुलाम होकर रहना पडेगा ।

मुसलमानों में अलगाव की भावना को प्रबल बनाने में अलीगढ कॉलेज के दो प्रिन्सिपल बेक और आर्चबोल्ड के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । बेक अलीगढ कॉलेज में पन्द्रह वर्षो तक सक्रिय रहा और उसने बार–बार इस बात को दुहराया कि मुसलमानो ने इस देश पर सात सौ वर्षो तक शासन किया है किन्तु इस समय के हिन्दुओं से पिछड गए हैं औीर सभी उंचे पदों पर हिन्दू आसीन है। अंजुमन–ए इस्लामिया के तत्वावधान में दिए गए एक भाषण में उन्होने कहा कि अंग्रेजों और मुसलमानो की एकता की संभाव्यता तो संगत एवं युक्तियुक्त है किन्तु हिन्दुओ और मुसलमानो की एकता सर्वथा असम्भव है । कॉलेज की विज्ञप्ति पत्रिका बेक के हाथो में थी और इसमें यह संपादकीय लिखा करता था । इसमें वह ऐसी बाते लिखता था जिनसे मुसलमानो में अलगाव की भावना को बल मिलता था । यह विचार व्यक्त किया गया कि 1885 तक सर सैयद अहमद खान राष्ट्रवादी ने तथा एम0ए0 ओ कालेज अलीगढ के अंग्रेज प्रिन्सिपल बेक के प्रभाव वे वे पृथकतावादी बे । 1893 में मुसलमानों को राजनीतिक दिशा निर्देशन प्रदान करने के उद्देश्य से मोहम्डन ऐंग्लो ओरियन्टल डिफैन्स एसोसिएशन की स्थापना की गई ।

वेक के पश्चात आर्च बोल्ड अलगढ कॉलेज का प्रिनिसपल नियुक्त हुआ । उसने नवाब मोहसिल उल मुल्क को एक शिष्टमण्डल का नरेता बना कर वायसराय लार्ड मिन्टो से मिलने के लिए प्रेरित किया । तदनुसार आगाखान की अध्यक्षता में छत्तीस सदस्यों के एक शिष्टमण्डल का गठन हुआ जिसने विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनीधियो ने भाग लिया । यह

शिष्टमण्डल वायसराय में मिला और उन्हें ज्ञापन देकर मुसलमान के लिए विभिन्न सुविधाओं की मॉग की । इस शिष्ट मण्डल ने वायराय को सुझाया कि मुस्लिम वर्ग के लिए सीटों का निर्धारण उनकी संख्या के आधार पर नहीं अपितु इनके राजनीतिक महत्व के आधार पर किया जाना चाहिए । शिष्टमण्डल द्वारा ायसराय को दिया गया ज्ञापन पत्र सम्भवत : आर्चडोल्ड ने लिखा था । ऐसा लगता है कि 1909 के एक्ट में मुसलमानों के लिए जोसुविधाएं प्रदान की गई उनकी वकालत किसी ने की थी जिसकी जड में आमाखान विधान सभा को दि गये उनके आश्वासन थे । रामगोपाल ने जसका शिष्टमण्डल की मुसलमानों के राजनीतिकरण की प्रक्रिया में एक युगान्तकारी घटना माना है । उन्होने लिखा है कि वह प्रथम अवसर था जबकि देश के विभिन्न भागों के मुस्लिम अभिजातकुल के लोग वायराय के निमन्त्रण पर शिमला में एकत्रित हुए और से सभी वहॉ से पूरी तरह से राजनैतिक होकर लौटे जिनका लक्ष्य अलीगढ की राजनीति को पूरे देश में फैलाना था । 1909 के एक्ट में साम्प्रदायिता के आधार पर मुस्लिम वर्ग को जो सुविधाएँ दी गई उनके व्यापक परिणामों के बारे में चेम्सफोर्ड और माण्डेग्यू को भी पूरा ज्ञान था । उन्होने इस संदर्भ में कहा कि धर्म तथा साम्प्रदाकि वर्गो के आधार पर भेदीकरण से एक दूसरे के विरोध में संगठित राजनीतिक शिविरों का जन्म होता है और इससे लोगों को देश के सामान्य नागरिक के रूप में न होकर अलग वर्गो के रूप में सोचने की शिक्षा मिलती है ।

बंगाल के विभाजन, शिमला शिष्टमण्डल तथा उत्तर प्रदेश में घटित भाषा विवाद [10] के उस आधारभूति को निर्मित कर दिया ाि जिस पर दिसम्बर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई । मसेहयिप उल मुरूक तथा आगाखान इसके संस्थापक सदस्यों में से थे । प्रारम्भ में ही लीग ने अंग्रेजी सरकार में अपरी पूर्ण भक्ति व्क्त की और कांग्रेस के साथ अपने विरोधों को रेखांकित किया । उनका प्रयोजन सर्वथा स्पष्ट था । इस दृष्टिकोण के परिणामरूवचरूप देश में चल रहे स्वतन्त्र.ता आन्दोलन की मुख्य धारा से मुस्लिम वर्ग के बडे भाग का कट जाना अनिवार्य था ।

राधाकान्त देव द्वारा प्रचति धर्म सभा तथा दयानन्द के आर्य समाज आन्दोलन से उनमें पृथकतावादी भावना को बढावा मिला । वेदों की ओर लौटो '' दयानन्द के इस नारे ने मुसलमानों में यह भावना पैदा की कि हिन्दुओं का अतीत एवं इतिहास उनके अपने अतीत और इतिहास से भिन्न है जिनमें उनकी सहभागिता सम्भव नहीं है । इसी प्रकार मुसलमान तिलक के आन्दोलन से भी अपने को नहीं जोड सके । जनसामान्य में राष्टीय चेतना का प्रसार करने के उद्देश्य से तिलक` महाराष्ट के गणेश चतुर्थी और ाविाजी महोत्सवों का आयोजन आरम्भ किया था जिसे मुसलमानों ने उसी रूप में नहीं समझा । इस संदर्भ में उनकी तीखी प्रतिक्रिया तब लीग और तन्जीम आन्दोलनों की शुरूआत में देखी जा सकती है ।

इस प्रकार, जिस समय भारत के राजनीतिक मंच पर गांधी का आविर्भाव हुआ उस समय तक यह साम्प्रदायिक समस्या काफी गम्भीर रूप ग्रहण कर चुकी थी । भारतीय राष्टीयता के विकास के मार्ग में यह एक बहुत बडी बाधा थी ।

सन्दर्भ सूची

1– ''भारतीय विद्रोह के कारण '' में सर सैयद अहमद ने लिखा है, '' यह मानने का कोई आधार नहीं है कि मुसलमान लम्बे समय से एक अन्य धर्म के मानने वालों के विस्द्व कोई षडयन्त्र रचते रहे हैं अथवा किसी विद्रोह या जिहाद की साजिश करते रहे हैं । अंग्रेजी सरकार मुसलमानो के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करती । केवल इसी बात से जिहाद जैसी किसी बात को मन में नहीं लाया जा सकता । '' द्र0 जी एफ0 आई0 ग्राहम, द लाइफ एण्ड वर्क ऑफ सैयद अहमद खान, पृ0 35

2– एम0एस0 जैन, आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक पृ0 17

3– ग्राहम, पूर्व , पृ0 319

4— वही, पृ0 16

5— ए0 एच0 अलबिरूनी, मकर्स आफ पार्टिशन, पृ0 107 । उद्धृत बी0 आर0 नन्दा, महात्मा गांधी, पृ0 400

6— मेहर एवं पटवर्धन , पूर्व पृ0 63 , इस संदर्भ में द्र ताराचन्द , जिल्द 3 पृ0 392—94

7— द्र0 रामगोपाल, इण्डियन मुस्लिम्स, पृ0 101

8— बी0 आर0 नन्दा , पूर्व पृ0 401

9— अप्रेल 1900 में अदालतो में देवनागरी लिपिक के प्रयोग की अनुमति दी गई किन्तु मुसलमानों ने इसका विरोध किया । उन्होने विरोध सभाएँ की और सरकारी आदेश के विरोध को जारी रखने के लिए अंजून ए उर्दू की स्थापना की । उत्तर प्रदेश में भाषा सम्बन्धी विवाद 1863 में ही आरम्भ हो गया था । पर सैययद अहमद खान ने अदालतो में हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ करने का विरोध किया था अेर कहा था यह कदम हिन्दू—मुस्लिम एकता में बाधक होगा । एम0एस0 जैन, पूर्व, पृ0 37—40

10— यंग इण्डिया, दि0 19'—1—1928 : अपरंच गांधी, हिन्दू धर्म पृ0 5—6